14.6.18

पत्रावली आज कैम्प कोर्ट कैम्प कोड़की में पेश हुई। राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं. 2069 से 2072 ग्राम कोड़की के भूमि ख.न. 3043 में प्रतिवादी नं. 1 प्रभुराम पु. सोवाराम का हिस्सा 0.46 है. दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार ख.न. 2105 रकबा 1.0800 हे. में प्रतिवादी नं. 1 प्रभु का हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमि पैतृक भूमि होना साबित है। वादीगण एवं प्रति. 6,7,8 प्रतिवादी नं. 1 प्रभु. के वारिसान है। वादीगण का कथन है प्रति. नं. 1 उक्त वर्णित पैतृक भूमि को बेचान करने पर आमदा है जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत उक्त वर्णित भूमि में से प्रतिवादी नं. 1 प्रभु के हिस्से की भूमि में जन्म से ही हक अधिकार बनता है अगर प्रतिवादी नं. 1 ~~[illegible]~~ अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर देते हैं तो वादीगण व प्रतिवादी नं. 7, 8, 9 के हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादपत्र में ~~वर्णित~~ विवादित उक्त वर्णित भूमि ख.न. 3043 एवं 2105 पैतृक भूमि है तथा प्रतिवादी नं. 1 उक्त वर्णित भूमि में अपने हिस्से की भूमि का बेचान करने को आमदा है। भूमि पैतृक होने के कारण प्रतिवादी नं. 1 को सम्पूर्ण भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त विवेचन के वादपत्र स्वीकार किया जाना तथा प्रतिवादी नं. 1 को जरिये स्थाई आदेश के पाबन्द किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी नं. 1 को जरिये स्थाई आदेश से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम कोड़की के भूमि ख.न. 3043 एवं 2105 में प्रतिवादी नं. 1 के दर्ज हिस्से की भूमि में से वादीगण एवं प्रतिवादी नं. 6 से 8 के हिस्से में आने वाली की हद तक राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा इनके हिस्से की भूमि का बेचान नहीं करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.6.18 को कैम्प कोर्ट कोड़की में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी